न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 10/2014

01. श्रवणलाल पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी रायथल तहसील मांगरोल
02. नेनगराम पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी रायथल तहसील मांगरोल

.....प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

01. प्रभू पुत्र बिरधा जाति माली निवासी रायथल तहसील मांगरोल
02. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारा(राज0)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील प्रार्थीगण : श्री अजीत कुमार जैन

वकील अप्रार्थी : श्री कर्मवीर शर्मा,

दायरा दिनांक: 14.02.2014 निर्णय दिनांक : 23.03.2022

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां के निवासी है एवं वर्तमान में ग्राम बमूलियांकलां तहसील अंता में निवासरत है। जिन प्रार्थी व अप्रार्थी की शामलाती भूमि ग्राम रायथल तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 बतौर खातेदार कृषक मुताबिक वारिसान दर्ज होना है। यह कि उपरोक्ट भूमियां हाल राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 मे बतौर खातेदार माधो, रामचन्द्र पुत्रान घांसी हिस्सा 1/2, केसरा पुत्र गणेश हिस्सा 1/4 सूरज्या, प्रभू पुत्रान बिरधा, धन्नी पुत्री बिरधा, बिशनी बेवा बिरधा हिस्सा 1/4 दर्ज है जिसके खाता संख्या 331 खसरा नं. 304 रकबा 0.80 है0, खसरा नं. 719 रकबा 0.75 है0, खसरा नं. 1120 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 1121 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 1201 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 1204 रकबा 0.08 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.75 है0 वाके ग्राम रायथल तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का माधो, रामचन्द्र पुत्रान घांसी हिस्सा 1/2 दर्ज होने के कारण उनकी मृत्यु उपरांत उसके वैध उत्तराधिकारी होने से अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। यह कि प्रार्थीगण के दादा घांसी फौत हो चुके है तथा उनके पुत्र माधो तथा रामचन्द्र वैध उत्तराधिकारी थे माधो भी ला औलाद फौत हुआ है तथा रामचन्द्र जो प्रार्थीगण के पिता है उनके फौत हुये लगभग 15–20 वर्ष हो चुके है। इस प्रकार अब माधो , रामचंद्र पुत्र घांसी हिस्सा 1/2 के स्थान पर प्रार्थीगण मुताबि सजरा वैध उत्तराधिकारी होने से उपरोक्त भूमियां राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। इसलिए उपरोक्त ग्राम रायथल में भूमियां रामचनद्र माधो के स्थान पर इंतकाल खुलवाकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थीगण करीब 15 वर्ष से ग्राम बमूलिया में निवासरत होने से विवादित भूमि में अपना नाम दर्ज नही करवा सके लेकिन प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में अप्रार्थी कम 1 प्रभू उक्त भूमियो को अपनी बताकर बेचान करने पर आमदा हो गया। प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी में जब काश्त करने पहुचे तो दिनांक 20.1.2014 को अप्रार्थी कम 1 ने धमकी दी कि उक्त भूमि पर मै तुम्हे काश्त नही करने दूगां। मौका मिलते ही प्रार्थीगण के हिस्से की 1/2 भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी इस कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी कम 1 से अपने खाते अलग करवाने को कहा तो अप्रार्थी कम 1 ने मना कर दिया । प्रार्थीगण पृथक–पृथक राजस्व रिकार्ड में मुताबिक हिस्सा पृथक से दर्ज करवाना चाहते है जिसके प्रार्थीगण अधिकारी व नालिशी है। यह कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर जबरन

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

काश्त करने के कारण वाद न्यायालय में प्रस्तुत करना पडा इस वास्ते प्रार्थीगण ने राज0 सरकार के वैध प्रतिनिधि को धारा 80 नोटिस जाप्ता दो माह दिनांक 12.02.2014 को जारी कर दिया है लेकिन मियाद नोटिस इंतजार करना संभव नही है इसलिए मियाद नोटिस समय को डिले कंडोन किये जाने हेतु वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र वास्ते अनुमति हेतु घारा 80(2) का पृथक से पेश कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी कम 1 को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विवादित आराजी में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 में प्रार्थीगण के कब्ज काश्त में जबरन दखलांदाजी न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करावे । प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 14.02.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मौका एवं रिकोर्ड की यथास्थिति का अंतरीम स्थगन जारी किया गया साथ ही अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 की ओर से दिनांक 27.09.2021 को वकिल श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा जवाब पेश नही करने एवं 14.02.2014 की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति जाहिर की।

अतः प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकोर्ड एवं अप्रार्थी कम 1 की दिनांक 14.02.2014 की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाता है। मूल वाद में निर्णय होने तक दिनांक 14.02.2014 को जारी स्थगन आदेश प्रभावी रहेगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner